

कार्य का नाम : उत्तराखण्ड, जनपद देहरादून, मसूरी के पार्क एस्टेट (जार्ज एवरेस्ट हाउस, प्रयोगशाला एवं अन्य) का पर्यटन विकास हेतु प्रस्ताव।

परियोजना के क्रियान्वयन के समय ईंधन हेतु वृक्षों का अवैध पातन न किये जाने का प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के क्रियान्वयन के समय परियोजनान्तर्गत कार्यरत कर्मियों/मजदूरों द्वारा ईंधन हेतु निकटवर्ती वनों/वृक्षों का अवैध पातन नहीं किया जायेगा। परियोजना के क्रियान्वयन के समय ठेकेदार द्वारा परियोजनान्तर्गत कार्यरत कर्मियों/मजदूरों को ईंधन उपलब्ध कराया जायेगा। ताकि वृक्षों के अवैध पातन को रोका जा सके।

ह0/
Addl. Program Director
प्रयोक्ता ए.पी.टी.
Uttarakhand

नरेश चमोली
वन संरक्षण विशेषज्ञ
पी0एम0यू0, देहरादून

अधिसारक अधिकारी
नगर पालिका परिषद, मसूरी

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वन अधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

SD M (M)

उप जिलाधिकारी
मसूरी।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून
मसूरी वन प्रभाग

जिला मजिस्ट्रेट
देहरादून